तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो किस हु[...] तामील में [...]
29/3/19	पत्रावली वास्ते सुनाये जाने आदेश पेश हुई। बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर श० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
20/19	18.02.2019	29.08.2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

राम कुवॉर आत्मज सीता राम जाति मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

– वादी

बनाम

1. नरोत्तम आत्मज सीता राम जाति मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से
– श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट प्रतिवादी नं0 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में ख0नं0 125 रकबा 2.37 हे0, ख0नं0 241 रकबा 1.06 हे0, ख0नं0 249 रकबा 2.07 हे0 कुल किता 3 रकबा 5.50 हे0 भूमि तथा ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद में ख0नं0 30 रकबा 0.87 हे0, ख0नं0 61 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.09 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 व उसकी बहिनों अनार बाई, बनास बाई, मां शांति बाई के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही है। पूर्व में उपरोक्त भूमियां वादी व प्रतिवादी नं0 1 व उनकी बहिनों अनार बाई, बनास बाई के पिता व मां शांतिबाई के पति सीता राम के खातें दर्ज थी। वादी व प्रतिवादी जाति से मीणा है तथा मीणा जाति व समाज में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इस कारण खातेदार सीताराम की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी नं0 1 व उनकी बहिनों अनार बाई, बनास बाई, मां शांति बाई के नाम उक्त भूमि दर्ज हुई। मीणा जाति व समाज में पुत्रियों व पत्नी का भूमि में कोई अधिकार नहीं होनें से उनके द्वारा दिनांक 03.09.2015 को सहमति से राजीनामा पेश कर अपना नाम खातें से निकलवा लिया है। पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के होनें की वजह से मौके की स्थिति का ज्ञान नहीं होनें से दिनांक 03.09.2015 को वादी के हिस्से में ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद ख0नं0 249 रकबा 2.07 हे0 भूमि दर्ज हो गयी जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 नरोत्तम के हिस्से में है और उसी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार ख0नं0 125 रकबा 2.37 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से में दर्ज हो गयी जबकि उक्त भूमि वादी रामकुंवार का कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी को ग्राम बिसलाई की ख0नं0 125 रकबा 2.37 हे0 व प्रतिवादी नं0 1 को ग्राम बिसलाई की ख0नं0 249 रकबा 2.07 हे0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 2 से उपरोक्तानुसार दुरूस्ती करवानें की दिनांक 13.02.2019 को कहा तो उनके द्वारा दूरूस्ती करनें से मना कर दिया इस कारण यह वाद पेश किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद की ख0नं0 125 रकबा 2.37 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 से हटायी जाकर वादी के खातें दर्ज की जाकर वादी रामकुंवार को खातेदार घोषित किया जावें। ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद की ख0नं0 249 रकबा 2.07 हे0 भूमि वादी के खाते से हटायी जाकर प्रतिवादी नं0 1 के खातें दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं0 1 नरोत्तम को खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 2 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादी को प्रतिवादीगण से मुकद्में का खर्चा दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. छायाप्रति डिक्री दिनांक 03.09.2015
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बिसलाई सं0 2074–77 खाता नं0 67
3. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बिसलाई सं0 2074–77 खाता नं0 144

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति डिक्री दिनांक 03.09.15 से विवादित भूमि ख0नं0 125 रकबा 2.37 हे0 भूमि नरोत्तम पुत्र सीताराम के नाम तथा ख0नं0 249 रकबा 2.07 हे0 भूमि रामकुंवार पुत्र सीताराम के नाम दर्ज की गई थी जो जमाबंदीयों के अवलोकन से प्रमाणित है। विवादित भूमियों पर भौतिक रूप से ख0नं0 125 रकबा 2.37 हे0 भूमि पर रामकुंवार एवं ख0नं0 249 रकबा 2.07 हे0 भूमि पर नरोत्तम के काबिज होनें के कथन किये गये है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जानें की सहमति प्रकट की है। चूंकि विवादित भूमि पुश्तेनी भूमि है और उभयपक्ष द्वारा राजीनामा अनुसार डिक्री किये जानें का निवेदन किया है। प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा अनुसार डिक्री किये जानें की सहमति प्रकट करनें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। वादी का वाद प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उभयपक्ष की सहमति से प्रमाणित है, जिससे वाद वादी स्वीकार योग्य है।

परिणामतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 125 रकबा 2.37 हे0 भूमि का वादी रामकुंवार पुत्र सीताराम को तथा ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद की ख0नं0 249 रकबा 2.07 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 1 नरोत्तम पुत्र सीताराम को खातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 29/08/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

राम कुवॉर आत्मज सीता राम जाति मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

– वादी

बनाम

1. नरोत्तम आत्मज सीता राम जाति मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट
मिसल नम्बर–20/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 125 रकबा 2.37 हे0 भूमि का वादी रामकुंवार पुत्र सीताराम को तथा ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद की ख0नं0 249 रकबा 2.07 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 1 नरोत्तम पुत्र सीताराम को खातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा।" तदनुसार अन्तिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 29/08/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner